



मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल
शिवाजी नगर, भोपाल पिन-462011
दूरभाष क्रमांक 0755-2578594 E-mail- mpbsevk@gmail.com

क्रमांक/778/वि.प्रशि.केन्द्र/2025

भोपाल, दिनांक 06/11/2025

— विज्ञापन —

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा 01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2026 तक हेल्पलाइन सेवा के संचालन हेतु अनुभवी एवं पात्र परामर्शदाताओं से पारिश्रमिक आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित हैं।

आवश्यक योग्यता/अहर्ता —

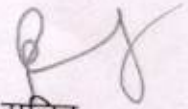
- मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त)।
- शालेय विद्यार्थियों की अकादमिक काउंसलिंग का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
- आवेदक की अधिकतम आयु 01 जनवरी 2026 की स्थिति में 55 वर्ष से अधिक न हो।

आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप, चयन प्रक्रिया तथा कार्य की अन्य शर्तें मण्डल की वेबसाइट mpbse.nic.in पर उपलब्ध हैं, एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल स्थित विज्ञान केन्द्र कक्ष में कार्यालयीन समय पर भी देखी जा सकती हैं।

आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल परिसर में विज्ञान केन्द्र कक्ष अथवा डाक कक्ष में अन्तिम तिथि दिनांक 02/12/2025 तक कार्यालयीन समय में जमा किये जा सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात तथा अपूर्ण प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार संबंधी सूचना ई-मेल द्वारा दी जावेगी। चयनित परामर्शदाताओं को मण्डल परिसर, भोपाल में उपस्थित रहकर हेल्पलाइन सेवा का कार्य सम्पादित करना होगा।

दूरभाष क्रमांक — 0755 - 2578594


प.सचिव



मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल

शिवाजी नगर, भोपाल पिन-462011

दूरभाष क्रमांक 0755-2578594 E-mail- mpbsevk@gmail.com

हेल्पलाइन सेवा-2026 हेतु आवेदन-पत्र

फोटो चस्पा करें

1	नाम (हिन्दी)		
2	Name in English Capital Letters		
3	पिता/पति का नाम		
4	जन्म तिथि (हाईस्कूल की अंकसूची अनिवार्यतः संलग्न करें।)		
5	पता		
6	फोन	मोबाइल -	निवास -
7	बैंक संबंधी जानकारी	Name of Bank Account No.	IFSC
8	पैन नम्बर	PAN No -	
9	ई-मेल		
10	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता		
	1. एम.ए.मनोविज्ञान	उत्तीर्ण वर्ष कुल पूर्णांक/प्राप्तांक	परिणाम प्रतिशत
	2. शालेय विद्यार्थियों की अकादमिक काउंसलिंग का अनुभव (वर्षों में)		
11	PGDGC- पी.जी. डिप्लोमा इन गाइडेंस एण्ड काउंसलिंग UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त/DCGC डिप्लोमा कोर्स इन गाइडेंस एण्ड काउंसलिंग NCERT द्वारा प्रदत्त।	उत्तीर्ण वर्ष कुल पूर्णांक/प्राप्तांक	परिणाम प्रतिशत
12	डिग्री/पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर्स		
13	अन्यत्र कार्यरत हैं अथवा नहीं		

नोट:-

- जन्म तिथि हेतु हाईस्कूल की अंकसूची, कार्यानुभव एवं अन्य शैक्षणिक योग्यताओं की अंकसूची/प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें। समस्त डिग्री एवं डिप्लोमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना अनिवार्य है।
- नियोक्ता का प्रमाणीकरण आवश्यक होने की दशा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
- आवेदन दिनांक 02/12/2025 तक कार्यालयीन समय में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल के विज्ञान केन्द्र कक्ष में अनिवार्य रूप से जमा करें। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात तथा अपूर्ण प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नियोक्ता का प्रमाणीकरण

आवेदक का नामवर्तमान में संस्थामें
..... पद पर कार्यरत हैं। इनका कार्य समयहै। इनका चयन मण्डल
हेल्पलाइन सेवा में होने की दशा में इस संस्था/कार्यालय को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

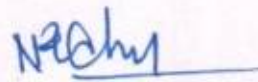
(हस्ताक्षर एवं सील)

काउंसलर्स की शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्ताएं –

अनिवार्य	अतिरिक्त
1. शैक्षणिक योग्यता – मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त। 2. अकादमिक काउंसलिंग अनुभव – अकादमिक काउंसलिंग का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। 3. आयु – आवेदक की अधिकतम आयु 01 जनवरी 2026 की स्थिति में 55 वर्ष से अधिक न हो।	1. (PGDGC) पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एवं काउंसलिंग UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त/DCGC डिप्लोमा कोर्स इन गाइडेंस एण्ड काउंसलिंग NCERT द्वारा प्रदत्त। 2. डिग्री/पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर्स UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त।

काउंसलर्स के चयन हेतु मूल्यांकन के मापदण्ड एवं अंक निर्धारण –

स.क्र	योग्यता एवं अनुभव	निर्धारित अंक (कुल 100)
1	मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त।	70 अंक (अंकसूची में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 70 प्रतिशत)
2	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एवं काउंसलिंग (PGDGC) UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त/DCGC डिप्लोमा कोर्स इन गाइडेंस एण्ड काउंसलिंग NCERT द्वारा प्रदत्त।	10 अंक
3	डिग्री/पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर्स UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त।	10 अंक
4	साक्षात्कार	10 अंक



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
हेल्पलाइन सेवा-2026 काउंसलर्स की सेवा-शर्तें

1. कार्य एवं शर्तें –

- 1.1 चयनित काउंसलर्स को निर्धारित दिनांक तक मण्डल की हेल्पलाइन सेवा ज्वाइन करना अनिवार्य है। नियत तिथि तक ज्वाइन न करने की स्थिति में संबंधित काउंसलर का चयन निरस्त किया जाकर वरियता क्रम अनुसार रिजर्व काउंसलर को कार्यरत काउंसलर के रूप में चयनित किया जा सकेगा।
- 1.2 काउंसलिंग कार्य हेतु मण्डल में स्वीकृत दर अनुसार रु. 215/- प्रति घंटे की दर से मानदेय देय होगा, जो प्रतिमाह कार्य में उपस्थिति के आधार पर गणना कर सीधे संबंधित काउंसलर के बैंक खाते में जमा किया जावेगा।
- 1.3 परामर्शदाताओं द्वारा अन्य विभाग/कार्यालय/स्कूल आदि में कार्यरत होने की दशा में उस विभाग के नियोक्ता से कार्यरत समय के उल्लेख सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 1.4 चयनित उम्मीदवार को प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 के मध्य 04-04 घंटे की आवंटित पारी में अपनी सेवायें मण्डल परिसर में उपस्थित रहकर देनी होंगी जो आवश्यकतानुसार समय-समय पर रोटेशन पद्धति से परिवर्तित की जा सकेंगी। मण्डल के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कार्य/समय में सेवायें देने से इंकार किये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- 1.5 कार्यरत एवं रिजर्व काउंसलर्स का कार्य संतोषजनक न पाये जाने अथवा किसी कार्यरत काउंसलर द्वारा हेल्पलाइन सेवा छोड़ने की स्थिति में रिजर्व सूची से वरियता क्रम अनुसार रिजर्व काउंसलर को कार्यरत काउंसलर के रूप में चयनित किया जावेगा।
- 1.6 रिजर्व काउंसलर्स द्वारा लगातार सेवा देने से इंकार करने की स्थिति में उनको सेवा से पृथक कर वरियता क्रम अनुसार अगले काउंसलर को रिजर्व काउंसलर के रूप में चयनित किया जावेगा।
- 1.7 अपरिहार्य/अतिआवश्यक कार्य होने पर पूर्व सूचना/अनुमति प्राप्त की जाना आवश्यक है। बिना पूर्व सूचना/अनुमति के लगातार एवं अधिक समय तक हेल्पलाइन सेवा से अनुपस्थित रहने के कारण हेल्पलाइन सेवा प्रभावित होने की स्थिति में संबंधित काउंसलर की सेवायें समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
- 1.8 समस्त काउंसलर्स को मण्डल द्वारा दिये जाने वाले उन्मुखीकरण कार्यक्रमों में सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा संबंधित काउंसलर की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- 1.9 चयनित उम्मीदवारों द्वारा रुपये 200/- के स्टाम्प पेपर पर मण्डल द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुसार टंकित शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना है, साथ ही बैंक विवरण, फार्म-15 G एवं पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां जमा करें। प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु इन्कम टैक्स रिटर्न जमा कर उसकी छायाप्रति मण्डल को प्रस्तुत करें।
- 1.10 साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवार अपने साथ अपने समस्त मूल दस्तावेज (अंकसूचियां एवं प्रमाण पत्र आदि) सहित साक्षात्कार हेतु उपस्थित होंगे।

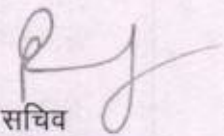
2. काउंसलर्स की शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्ताएं –

- मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त)
- अकादमिक काउंसलिंग का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
- आवेदक की अधिकतम आयु 01 जनवरी 2026 की स्थिति में 55 वर्ष से अधिक न हो।

3. काउंसलर्स के चयन हेतु मूल्यांकन के मापदण्ड एवं अंक निर्धारण –

स.क्र	योग्यता एवं अनुभव	निर्धारित अंक (कुल 100)
1	मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त।	70 अंक (अंकसूची में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 70 प्रतिशत)
2	(PGDGC) पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एवं काउंसलिंग UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त / DCGC डिप्लोमा कोर्स इन गाइडेंस एण्ड काउंसलिंग NCERT द्वारा प्रदत्त।	10 अंक
3	डिग्री/पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर्स UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त।	10 अंक
4	साक्षात्कार	10 अंक

- 3.1 पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाकर समिति से अनुमोदन उपरान्त पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा जिसकी सूचना ई-मेल के माध्यम से पात्र उम्मीदवारों को दी जावेगी।
- 3.2 किसी भी स्थिति में मण्डल हित में निर्णय का अधिकार सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल को होगा जो की अन्तिम एवं बन्धनकारी होगा।


 ५. सचिव
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
 म.प्र. भोपाल